



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/433

दिनांक :19/08/2025

प्रति
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत उलटे शुल्क ढांचे पर इनपुट के लिए अनुरोध

व्यापार और कराधान से संबंधित उद्योग चुनौतियों का मूल्यांकन और प्रतिनिधित्व करने के हमारे सतत प्रयासों के हिस्से के रूप में, हम प्लास्टिक और संबंधित डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले **उल्टे शुल्क संरचनाओं** की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं।

यह अभ्यास **वाणिज्य विभाग** के अनुरोध के प्रत्युत्तर में किया जा रहा है, जो उद्योग हितधारकों से सक्रिय रूप से इनपुट प्राप्त कर रहा है, ताकि उन मामलों की पहचान की जा सके, जहां उलटे शुल्क ढांचे से घरेलू विनिर्माण और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उलटे शुल्क ढांचे की परिभाषा:

उलटा शुल्क ढांचा तब होता है जब इनपुट पर कर (सीमा शुल्क या जीएसटी) की दर अंतिम उत्पाद पर कर की दर से अधिक होती है। इससे अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जमा हो जाता है, जिसका कार्यशील पूंजी और मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासकर निर्यातकों और घरेलू निर्माताओं के लिए।

इनपुट के लिए अनुरोध:

हम **प्लेक्सकौन्सिल** से अनुरोध करते हैं कि वह निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराए, जहां भी लागू हो:

1. एचएस कोड और उत्पाद विवरण
2. प्रयुक्त कच्चा माल/इनपुट (संबंधित एचएस कोड के साथ)
3. इनपुट बनाम अंतिम उत्पाद पर बीसीडी और जीएसटी दरें
4. कार्यशील पूंजी / मूल्य निर्धारण पर प्रभाव
5. सुधार के लिए कोई सुझाव या औचित्य

जमा करने की आंखिरी अवधि:

हम **22 अगस्त , 2025 (शाम 4 बजे)** तक आपका फीडबैक प्राप्त करने की सराहना करेंगे, जिसे **अधोहस्ताक्षरी को bharti@plexconcil.org ; shilpa@plexconcil.org** पर भेजा जाना चाहिए, ताकि समय पर संकलन किया जा सके और वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत किया जा सके।

हम आपके सहयोग और समर्थन की आशा करते हैं।

सादर,

भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल